


\* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2015

1. अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम : तृप्ति पाण्डेय
2. वर्तमान धारित पद : अति.कार्या.सहा.श्रेणी-दो
3. कार्यालय का नाम : अधी. यंत्री अ.उ.दा.-संथा. वृत इन्दौर
4. वर्तमान वेतन : : 17170 + ग्रेड वेतन 3800
5. भविष्य निधि क्रमांक : 25922609
6. कर्मचारी संख्या : 92520204

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी / कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो, उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
जिला इन्दौर	24x37 के प्लॉट पर मकान	-	25 लाख	स्वयं के नाम से	1.वर्ष 2003 में स्वयं की बचत एवं आई.सी. आई.बैंक से ऋण लेकर	निरंक	निरंक
	20X50 का प्लॉट	-	18.60 लाख	स्वयं के नाम से	2.स्वयं एवं पति की बचत पी एन.बी. हा.फा. लि. से 15 लाख का ऋण लेकर	निरंक	निरंक

हस्ताक्षर.....

नाम तृप्ति पाण्डेय

पद अति.कार्या.सहा.श्रेणी- दो

\* जहां लागू न हो काट दीजिये ।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये ।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी - मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र. भासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के प चात् यह घोशणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे ।